

SPEED POST

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
पश्चिम क्षेत्रीय समिति



National Council for Teacher Education  
(A Statutory Body of the Government of India)  
Western Regional Committee

TO BE PUBLISHED IN CAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4

No. WRC/WRCAPP993/154<sup>th</sup>/B.ED/2011/ 82110

Date: 29.9.2011

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993, SANDIPANI ACADEMY, KHASRA NO-1502 & 1503, PLOT NO. 44, ACHHOTI, THE-DHAMDHA, CITY-MURMUNDA, DIST-DURG, CHHATTISGARH, (Code No. WRCAPP993) had submitted on 04.10.2010 the application to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition for starting the B.ED. Course with an annual intake of 100.

2. AND, WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfills such other conditions required for proper functioning of the institution for B.ED., as determined by regulations.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14 (3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Western Regional Committee hereby grants recognition to SANDIPANI ACADEMY, KHASRA NO-1502 & 1503, PLOT NO. 44, ACHHOTI, THE-DHAMDHA, CITY-MURMUNDA, DIST-DURG, CHHATTISGARH (Code No. WRCAPP993) for starting B.ED. Course of secondary level or 1 year with an annual intake of 100 from academic session 2012-2013.

4. Further, the institution is required to comply with all post-recognition conditions enumerated from Clause 8(11) to Clause 8(16) of NCTE (Recognition, Norms & Procedure) Regulations 2009.

5. The society sponsoring the institution shall transfer and vest the title of the land and building in the name of the institution within a period of six months from the date of this order and submit the documents to the Western Regional Committee. However, in case the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence of its inability to do so.

6. The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 from the academic session 2012-2013.

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal - 462002

दूरभाष/Phone : 0755 - 2738872, 2660915, 2660379, 2660372, फ़ैक्स / Fax : 0755 - 2660912

E-mail : wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in





# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
परिषद् क्षेत्रीय समिति



National Council for Teacher Education  
(A Statutory Body of the Government of India)  
Western Regional Committee

7. The recognition/permission will operate for 2012-2013 only if the requirement of 200 teaching days in the session is fulfilled as per calendar of the University/Affiliating Body.
8. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
9. The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its Official website.
10. If, at any time, either on *sue-moto* inspection or on any representation received from any person, the WRC, NCTE is satisfied that the institution has contravened any of the provisions of the NCTE Act, or the rules, regulations, orders made or issued there under or any condition subject to which the recognition was granted, the recognition may be withdrawn under the provisions of Section 17 (1) of the NCTE Act.

Encl: As above.

Regional Director

The Manager to Govt. of India Press  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110054

Copy to:

1. The Principal, SANDIPANI ACADEMY, KHASRA NO-1502 & 1503, PLOT NO. 44, ACHHOTI, THE DHAMDIHA, CITY-MURMUNDA, DIST-DURG, CHHATTISGARH.
2. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur, Chhattisgarh.
3. The Registrar, PT. RAVI SHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, Raipur, Chhattisgarh.
4. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
5. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshahi Zafar Marg, New Delhi - 110002.
7. Office Order file/Institution file WRCAPP993.

Regional Director

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal - 462002

दूरभाष/Phone : 0755 - 2739672, 2680915, 2660379, 2660372, फैक्स / Fax : 0755 - 2660912

E-mail : wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in

NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org

Principal





F.No. WRC/APP993/2015/ 39026

Date 31.10.15

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4

Revised Order

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. And whereas, the Sandipani Academy, 1502 & 1503 Plot No. P.H. No. 44 Village- Achhoti Post office- Godi, Tehsil- Dhamdha, City- Murmunda, District- Durg- 490036, Chhatisgarh by affidavit dt. 08.01.2015 has consented to come under new Regulations and sought for two basic units in B.Ed. which require additional facilities

3. And whereas, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely,

- i. The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) additional staff as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- ii. The applicant-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC), Building Plan (BP) and the Approved Staff List in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting team at the time of inspection.
- iii. The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 Feb, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
- iv. In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted along with the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institutions shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Western Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

4. Now therefore, in the light of the above and in accordance with the NCTE Regulations, 2014, the Western Regional Committee (NCTE) hereby issues the revised recognition order to Sandipani Academy, 1502 & 1503 Plot No. P.H. No. 44 Village- Achhoti Post office- Godi, Tehsil- Dhamdha, City- Murmunda, District- Durg- 490036, Chhatisgarh, for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 students (two basic units of 50 students each) from the academic session 2015-16 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

Cont..... 2

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दुरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372  
Email: wrc@ncte-india.org Website: www.nctewrc.co.in

  
Principal



5. Further, the recognition is subject to fulfillment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc, as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a chartered Accountant.

7. The institutions shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution;
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter;
- d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- e) Fee charged from students;
- f) Available infrastructural facilities;
- g) Facilities added during the last quarter;
- h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If institution contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act 1993.

8. Recognition order no. WRC/APP993/154<sup>th</sup>/B.ED./2011/82109 - 82115 dated 29.09.2011 be treated as cancelled from the date of issue of this revised order.

By Order,

(Sunil Shrivastava)  
Regional Director

The Manager,  
Government of India Press  
Department of Publications (Gazette Section)  
Civil Lines, New Delhi - 110054.

Copy to:

1. The Principal, Sandipani Academy, 1502 & 1503 Plot No. P.H. No. 44 Village- Achhoti Post office- Godi, Tehsil- Dhamdha, City- Murmunda, District- Durg- 490036, Chhattisgarh.
2. The secretary, Sandipani Academy, Plot No. LIG-2,148, Street- Sector-2, Village- Pt. Dindayal Upadhyay Nagar, Post office- RSSU, Tehsil- Raipur, District- Raipur- 492010, Chhattisgarh.
3. The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur- 492010, Chhattisgarh.
4. The Education Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur- 492001, Chhattisgarh
5. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhavan, New Delhi - 110 001.
6. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. The Computer Programmer, Computer Section, WRO, (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
8. Office Order file/institution no. APP993

Principal

Principal  
(Education)

Sandipani Academy  
Durg (C.G.)



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
पश्चिम क्षेत्रिय समिति



National Council For Teacher Education  
(A Statutory Body of the Government of India)  
Western regional Committee

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4

F.No.WRC/APP8887/B.Sc. B.ED./B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years/270<sup>th</sup>/CG/2017/ Date : 2-3-17

**RECOGNITION ORDER**

181881

WHEREAS, in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993, Sandipani Academy, D/33, Kuber Grih Nirman Sahakari Samiti, Street/Road - Rohinipuram, Raipur, Chhattisgarh - 492010 (WRCAPP8887) had submitted on 30.05.2016 the application to the Western Regional Committee of the NCTE for grant of recognition to Sandipani Academy, Khasra No. - 1502, 1503, Village - Achhoti (Murmunda), Street/Road - Kumhari - Ahiwara Road, Tehsil - Dhamdha, District - Durg, Chhattisgarh - 490036 for B.Sc. B.Ed. / B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years Course.

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education notified the Regulations, 2014 on 1.12.2014.

And whereas, on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit, and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee in its 270<sup>th</sup> meeting held on 1-3 March, 2017 is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the B.Sc. B.Ed./B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years programme, such as, infrastructural and instructional facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993 and in accordance with the Regulations, 2014, the Western Regional Committee, NCTE hereby grants recognition to Sandipani Academy, Khasra No. - 1502, 1503, Village - Achhoti (Murmunda), Street/Road - Kumhari - Ahiwara Road, Tehsil - Dhamdha, District - Durg, Chhattisgarh - 490036 for conducting B.Sc. B.Ed. (Integrated) 4 Years programme with an annual intake of 50 students (one unit of 50 students) and B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years programme with an annual intake of 50 students (one unit of 50 students) from the academic session 2017-18.

The institution shall gradually move towards becoming a composite institution as per clause 8(1) of the NCTE Regulations, 2014.

The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining body in term of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.

The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

The recognition is subject to fulfilment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, State Government etc. as applicable.

The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with annual statement of accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Continued on next page

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 फेक्स/ Fax: 0755-2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in

NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org

Principal





The institution shall fill the GIS information on the NCTE website within one month from the date of this order.

The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display the following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution;
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- c) Name of faculty members who left or joined during the last, quarter;
- d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, percentage of marks
- e) in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- f) Fee charged from students;
- g) Available infrastructural facilities;
- h) Facilities added during the last quarter;
- i) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- j) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- k) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- l) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution contravenes the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provision of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.

By Order,

(Awadhesh Nayak)  
Regional Director (I/C)

The Manager,  
Government of India Press,  
Department of Publications (Gazette Section),  
Civil Lines, Delhi - 110054.

To:  
Sandipani Academy,  
Khasra No. - 1502, 1503,  
Village - Achhoti (Murmunda),  
Street/Road - Kumhari - Ahwara Road,  
Tehsil - Dhamdha,  
District - Durg,  
Chhattisgarh - 490036

Copy to:

1. The Secretary, Sandipani Academy, D/33, Kuber Grih Nirman Sahakari Samiti, Street/Road - Rohinipuram, Raipur, Chhattisgarh - 492010.
2. The Registrar, Durg University, Govt. Vasudev Vaman Patankar Girls P.G. College Campus, Raipur Naka, Durg, Chhattisgarh-491001.
3. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur-492001, Chhattisgarh.
4. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
5. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
7. Computer programmer, Computer Section, WRO (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
8. Office Order file/Institution file WRCAPP8887.

Regional Director (I/C)

Principal







F. No. WRC/APP8887/B.Sc. B.Ed./B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years/C.G./2017//

Date: 28 Sep 17

Corrigendum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

WRC (NCTE), Bhopal has issued a Recognition Order No. WRC/APP8887/B.Sc. B.Ed./B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years/270<sup>th</sup>/C.G./2017/181873 dt. 09.03.2017 to Sandipani Academy, D/33, Kuber Grih Nirman Sahakari Samiti, Street/Road - Rohinipuram, Raipur, Chhattisgarh - 492010 for conducting B.Sc. B.Ed. (Integrated) 4 Years course with an annual intake of 50 students (one unit of 50 students) and B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years course with an annual intake of 50 students (one unit of 50 students).

The Section 14(1) of the NCTE Act, 1993 mentioned in the para 01 of Recognition order and under section 14(3) (a) mentioned in para 04 of the above order may be read as "15(1)" and "15(3) (a)" respectively.

The other contents of the order no. WRC/APP8887/B.Sc. B.ED./B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years/270<sup>th</sup>/CG/2017/181873-881 dt. 09.03.2017 will remain unchanged.

(Awadhesh Nayak)  
Regional Director (I/C)

Copy to:

1. The Secretary, Sandipani Academy, D/33, Kuber Grih Nirman Sahakari Samiti, Street/Road - Rohinipuram, Raipur, Chhattisgarh - 492010.
2. The Registrar, Durg University, Govt. Vasudev Vaman Patankar Girls P.G. College Campus, Raipur Naka, Durg, Chhattisgarh-491001.
3. The Secretary, (Higher Education), Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Raipur- 492001, Chhattisgarh.
4. The Director, Education Chhattisgarh State Council of Educational Research & Training, Shankar Nagar, Raipur-492006.
5. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
7. Computer programmer, Computer Section, WRO (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
8. Office Order file/Institution file WRCAPP8887.

Regional Director (I/C)

ok

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal 462002.

दुरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 फैक्स/ Fax: 0755 2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website: www.nctewrc.co.in  
NCTE HQs Website: www.ncte-india.org

Principal






छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

पत्र क्रमांक/एफ...६...३७.../2017/२०-३

नया रायपुर, दिनांक ...६-११-२०१७

आदेश

राज्य शासन एतद् द्वारा सांदीपनी एकेडमी, दुर्ग में संचालित B.Sc.B.Ed/B.A. B.Ed पाठ्यक्रम में केवल सत्र 2017-18 में प्रवेश के लिए NCTE के नार्म्स अनुसार पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर और यदि आवेदनकर्ता छात्रों की संख्या सीट्स संख्या से अधिक है तो 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट तैयार कर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 15 नवम्बर 2017 के पहले तक प्रवेश प्रक्रिया करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि इस पाठ्यक्रम का वार्षिक परीक्षा प्रशिक्षण कें कुल 250 दिवस पूरा होने के पश्चात ही आयोजित किये जाय। आगामी वर्ष से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश, व्यापम द्वारा चयन परीक्षा आयोजित कर किया जायेगा।


  
सचिव 6/11/17

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग


पृष्ठा. क्रमांक/एफ...६...३७.../2017/२०-३  
प्रतिलिपि -

नया रायपुर, दिनांक ...६...११...२०१७

1. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिलस, भोपाल।
3. कुल सचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर।
5. सचिव, सांदीपनी एकेडमी, अछोटी, मुरमुन्डा जिला दुर्ग को पालनार्थ एवं चयन सूची संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर से अनुमोदन करावें।

  
सचिव 6/11/17

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

  
Principal  
07/11/17  
University, Durg (C.G.)

  
Principal







# दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone-0783-2359400

क्र. 1426 /अका./वार्षिक संबद्धता/102/2018

दुर्ग, दिनांक : 03/01/2018

## ||आदेश||

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(a)(1) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 03-01-2018 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	सांदीपनी एकेडमी, अछोटी जिला-दुर्ग (छ.ग.) Email Id -sandipanibed.ahhoti@gmail.com Ph. No.- 0783-666666	2017-18	<b>Non Permanent Affiliation</b>  B.Ed.	<b>100</b>

### निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भर्ती सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डीनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति-पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृद्ध करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को 15 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।  
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की संबद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

क्र. 1424 /अका./वार्षिक संबद्धता/102/2018

दुर्ग, दिनांक : 03/01/2018

### प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
- माननीय कुलपति महोदय के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

उप कुलसचिव (अका.)

Principal  
(Education)  
Sandipani Academy  
Achhoti, Distt. Durg (C G)

Principal  
(Education)

Sandipani Academy  
Achhoti, Distt. Durg (C G)





# हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)  
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. १०७ / अका. / वार्षिक संबद्धता / 008 / 2018

दुर्ग, दिनांक : 22/11/2018

## ॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.2018 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2018-19 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	सांदीपनी एकेडमी, ग्राम-अछोटी, पोस्ट- मुरमुन्दा, ब्लाया- धमघा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)	<b>Non Permanent Affiliation</b> B.Ed.	<b>100</b>

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 22/11/2018

पृ. क्र. १०८ / अका. / वार्षिक संबद्धता / 008 / 2018

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सि. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

Principal  
(Education)





# हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : [academic@durguniversity.ac.in](mailto:academic@durguniversity.ac.in) वेब साइट : [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in)

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1653 / अका. / स्थायी संबद्धता / 2019

दुर्ग, दिनांक : 04 / 05 / 2019

## ||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन स्थायी सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	सांदीपनी एकेडमी, ग्राम-अछोटी (मुरमुंदा), तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	<b>Permanent Affiliation</b> B.Ed. - II <sup>nd</sup> Year	100

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्राक्धानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।  
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

टीप:- परिनियम-28 के अंतर्गत नियमित शिक्षकों की व्यवस्था 3 माह के अंदर कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

कुलसचिव  
हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 04 / 05 / 2019

पृ.क्र. 1660 / अका. / स्थायी संबद्धता / 2019

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

Principal  
(Education)

Sandipani Academy  
Achhoti, Distt. Durg (C G)





# दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: [academic@durguniversity.ac.in](mailto:academic@durguniversity.ac.in) Website: [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in) Phone & Fax 0788-2359400

Affiliation  
2) Recognition  
3) Co-tergum  
in Recognition  
4) NOC

क्रं. 1216 / अका/2017

दुर्ग, दिनांक : 21/8/17

प्रति,

प्राचार्य/ संचालक,  
संदीपनी एकेडमी  
अछोटी, मुरमुदा  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- नवीन पाठ्यक्रम बी.ए. बी.एड. एवं बी.एस.सी. बी.एड. की दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्धता।

संदर्भ :- 1. NCTE, WRC के द्वारा विषयांतर्गत मान्यता प्रदान करने हेतु पत्र क्र. F.No. WRC/APP8887/B.Sc.B.Ed/  
B.A. B.Ed. (Integrated) 4 Years/270<sup>th</sup>/CG/2017 दिनांक 09.03.2017  
2. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा WPC No. 1605/2017 के निराकरण हेतु  
पारित निर्णय आदेश दिनांक 01.09.2017

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिपालन में अवगत हो कि संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 में शिक्षा पाठ्यक्रम  
संचालन हेतु मान्यता NCTE Act 1993 के Section 14(3)(a) के तहत प्रदान की गई है, ऐसा वर्णित है।

आपकी संस्था को NCTE, WRC द्वारा NCTE Act 1993 के Section 14(3)(a) के तहत मान्यता एवं  
14(6)(a) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता पूर्व से ही प्राप्त है।

नवीन पाठ्यक्रम संचालन हेतु NCTE द्वारा NCTE Act 1993 के Section 15(3)(a) के तहत मान्यता  
प्रदान किया जाना उल्लेखित है। NCTE, WRC के संदर्भित पत्र में नवीन पाठ्यक्रम बी.ए.बी.एड. एवं बी.एस.सी.  
बी.एड. हेतु Section 14(3)(a) के तहत मान्यता प्रदान की गई है जिसे संदर्भित पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के पूर्व  
संशोधित कराया जाना उचित होगा।

तथापि उपरोक्त संशोधन की प्रत्याशा में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के संदर्भित  
आदेशानुसार सत्र 2017-18 हेतु बी.ए.बी.एड. एवं बी.एस.सी. बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता दुर्ग  
विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त नवीन पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के पूर्व निम्नांकित प्रावधानों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें :-

1. NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 में वर्णित विषयांतर्गत  
पाठ्यक्रम हेतु समस्त शर्तों को पूर्ण करना होगा।
2. NCTE/UGC/उ.शि.वि. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी शिक्षकों की वांछित  
संख्या में नियमानुसार नियमित नियुक्ति UGC/छ.ग.शासन - उ.शि.वि./द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों  
सहित वर्तमान वेतनमान पर करके चयनित शिक्षकों की सूची को विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराना  
होगा।
3. प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ करने के पूर्व दुर्ग विश्वविद्यालय को अवगत कराए कि आपकी संस्था बी.एस.  
सी. एवं बी.ए. के किन विषयों को लेकर उपरोक्त पाठ्यक्रम संचालित करना चाहती है।
4. समग्र पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार गठित अध्ययन मण्डल से अनुमोदन कराना होगा।
5. संदर्भित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम एवं पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय/छ.ग.शासन  
द्वारा किया जायेगा।
6. बी.ए.बी.एड. एवं बी.एस.सी. बी.एड. पाठ्यक्रम वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति द्वारा संचालित होगा ऐसा  
NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 की अनुसूची 13 में वर्णित  
है। उपरोक्त पर निर्णय एवं अनुमोदन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा किया जायेगा। तदनुसार

Principal

(Education)

Sandipani Academy



विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा आयोजन हेतु अध्यादेश का निर्माण कर समन्वय समिति से अनुमोदित कराएगा।


7. NCTE, WRC के संदर्भित पत्र के पैरा-9 का अवलोकन कर अवगत हो कि आपकी संस्था को संशर्त मान्यता प्रदान की गई है अतः मान्यता पत्र में वर्णित निर्देशानुसार नियामक संस्थाओं यथा UGC, Affiliating University/Body, State Government etc. के समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।

अवगत हो कि नवीन पाठ्यक्रम बी.ए.बी.एड एवं बी.एस.सी. बी.एड. से संबंधित उपरोक्त समस्त प्रावधान पूर्ण होने पर ही पाठ्यक्रम का संचालन एवं परीक्षा आयोजन नियमानुसार एवं विधि सम्मत होगा। विश्वविद्यालय के स्तर पर की जाने वाली समस्त कार्यवाही नियमानुसार समयावधि में पूर्ण कर संस्था को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

संस्था के स्तर पर की जाने वाली बिन्दु क्र. 1, 2 एवं 3 की जानकारी विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना वांछित है तदुपरांत विश्वविद्यालय स्तर की कार्यवाही की जा सकेगी।

NCTE द्वारा यदि प्रदत्त मान्यता समाप्त की जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव

पृ.क्र. 1217 /अका./2017

दुर्ग, दिनांक 21/8/17

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. कुलपति महोदय के सचिव दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।

  
उप कुलसचिव (अका.)





# हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : [academic@durguniversity.ac.in](mailto:academic@durguniversity.ac.in)

वेब साइट : [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in)

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 717/अका./अस्थायी संबद्धता/124/2018

दुर्ग, दिनांक : 28/11/2018

## ॥ आदेश ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02/11/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार माननीय कार्यपरिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए अस्थायी संबद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
✓	सादीपनी एकेडमी, ग्राम-अछोटी (मुरमुंदा), तहसील - धमधा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)	2018-19	<b>Non Permanent Affiliation</b> B.A. B.ED II yr B. Sc. B.Ed II yr	50 50

### निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
  - परिनियम-28 में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में अनिवार्यतः कर ली जाये।
  - शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
  - महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
  - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
  - शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
  - महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सद्द कर देंगे।
  - विषयों से संबंधित पुस्तकें तत्काल क्रय करेंगे।
  - NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को 15 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

  
कुलसचिव


हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 28/11/2018

सू. क्र. 718/अका./अस्थायी संबद्धता/124/2018

### प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
- माननीय कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा नियंत्रक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

  
सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

  
Principal  
(Education)





# हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : [academic@durguniversity.ac.in](mailto:academic@durguniversity.ac.in) वेब साइट : [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in)

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1723/अका./अस्थायी संबद्धता/2019

दुर्ग, दिनांक : 17 / 09 / 2019

## ||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.08.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	सांदीपनी एकेडमी, ग्राम-अछोटी (मुरमुंदा), तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	<b>Non Permanent Affiliation</b> B.A. - B.Ed. - III <sup>rd</sup> Year B.Sc. - B.Ed. - III <sup>rd</sup> Year	50 50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।  
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

टीप:- परिनियम-28 के अंतर्गत नियमित शिक्षकों की व्यवस्था 3 माह के अंदर कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 17 / 09 / 2019

पृ.क्र. 1724/अका./अस्थायी संबद्धता/2019

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सह. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

  
Principal





# हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुरनाकादुर्ग (छ.ग.)-491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in

दूरभाष: 0788-2359400

क्र. 2769 / अका. / अस्थायी संबद्धता / 2020

दुर्ग, दिनांक : 20 / 08 / 2020

## || आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.08.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिचय 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन अस्थायी संबद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय कानाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	सांदीपनी एकेडमी, ग्राम-अछोटी (मुरमुदा), तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	<b>Non Permanent Affiliation</b> B.A. B.Ed. IV yr B.Sc. B.Ed. IV yr	50 50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृद्ध करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 20 / 08 / 2020

2770


पू. क्र. / अका. / अस्थायी संबद्धता / 2020

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

  
Principal  
(छ.ग.)





# हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in

दूरभाष: 0788-2359400

क्र. 3293 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 03 / 2021

दुर्ग, दिनांक : 05 / 01 / 2021

## ||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक संबद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय कानाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	सांदीपनी एकेडमी, ग्राम-अछोटी (मुरमुंदा), तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	<b>Permanent Affiliation</b> B.Ed. <b>Non Permanent Affiliation</b> B.A. B.Ed. IV yr B.Sc. B.Ed. IV yr	100 50 50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृद्ध करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नवीन मान्यता एवं यदि न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होगा।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 05 / 01 / 2021


पू.क्र. 3294 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 03 / 2021

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सह-कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

  
Principal  
(Education)





# HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)

Raipur Naka, Durg (C.G.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

No. 5304/Academic/Annual Affiliation/Ed-07/2022

Durg, Dated - 16/09/2022

## ORDER

As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted Annual Affiliation for the year 2022-23 as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statute 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/ Non-Permanent)
Sandipani Academy, Achhoti, Distt., -Durg (C.G.)	B.Ed	100	Permanent Affiliation
	B.A. B.Ed	50	Non-Permanent Affiliation
	B.Sc. B.Ed	50	Non-Permanent Affiliation

### Instructions-

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. College should make all necessary arrangements to fulfill the condition mandatory for the affiliation from NCTE and give prior information to University also. Failing which the University will send their names to NCTE for cancellation of affiliation.
9. This affiliation letter will be based on the latest affiliation letter approved by NCTE and if any matter of the college is lying with court than the decision of honorable High Court will be applicable.
10. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within 10 days from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.

  
Registrar

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

Durg, Dated - 16/09/2022

No. 5305/Academic/Annual Affiliation/Ed-07/2022

Copy to -

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Floor, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

  
Assistant Registrar (Acad.)

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

Annual Affiliation 2022

  
Principal  
(Education)

Principal  
(Education)